िट जमाकर्ताओं की सुरक्षा

प्रत्येक जमाकर्ता के संबंध में ₹ 5,00,000 तक की बैंक जमा राशि, जमा बीमा योजना के अंतर्गत निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा पूर्णतः बीमाकृत है।

इस योजना में भारत में कार्यरत सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिहत) तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी बैंक शामिल हैं, जिन तक केंद्र सरकार द्वारा इस योजना का विस्तार किया गया है। ये बैंक निगम के साथ बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकृत हैं।

एक बार जब किसी बीमाकृत बैंक का परिसमापन हो जाता है/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसे "सर्व समावेशी निदेशों" के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें जमाराशि की निकासी पर प्रतिबंध होता है, तो उसके जमाकर्ताओं को जमा बीमा उपलब्ध होता है। बीमाकृत जमाराशियों के संबंध में निगम की देयता निम्नलिखित मामलों में उत्पन्न होगी:

यदि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के किसी भी प्रावधान के तहत कोई निर्देश जारी किया जाता है या कोई निषेधाज्ञा या आदेश या योजना बनाई जाती है और ऐसा निर्देश, निषेधाज्ञा, आदेश या योजना ऐसे बैंक के जमाकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाती है, तो निगम प्रत्येक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी द्वारा बैंक के निर्देश/निषेध/आदेश/योजना जारी करने की तिथि को उसकी कुल जमा राशि (समान क्षमता और समान अधिकार में) ₹ 5 लाख की अधिकतम सीमा तक का भुगतान करता है।

यदि कोई बैंक परिसमापन में चला जाता है, तो निगम प्रत्येक जमाकर्ता को, सीधे या परिसमापक के माध्यम से, डीआईसीजीसी द्वारा बैंक के विपंजीकरण की तिथि तक उसकी कुल जमा राशि (समान क्षमता और समान अधिकार में) का भुगतान करता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 5 लाख तक है।

यदि किसी बैंक का पुनर्गठन किया जाता है या किसी अन्य बैंक के साथ उसका विलय किया जाता है और पुनर्गठन या विलय की योजना जमाकर्ता को उसकी पूरी जमा राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं देती है, तो निगम पुनर्गठित बैंक या अंतरिती बैंक के माध्यम से प्रत्येक जमाकर्ता को बीमा योजना के तहत जमाकर्ता को देय राशि और पुनर्गठन या विलय की योजना के तहत उसके द्वारा प्राप्त राशि के बीच की कमी के बराबर राशि का भुगतान करने की व्यवस्था करेगा, जैसा कि डीआईसीजीसी द्वारा बैंक का पंजीकरण रद्द करने की तिथि पर है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया निगम की वेबसाइट देखें।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, मुंबई

(www.dicgc.org.in)

DEPOSITORS' PROTECTION

Bank deposit upto ₹ 5,00,000 in respect of each depositor is fully insured by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation under the Deposit Insurance Scheme.

The Scheme covers all commercial banks (including Regional Rural Banks) operating in India and also co-operative banks in States and Union Territories to which the Scheme has been extended by the Central Government. These banks are registered as insured banks with the Corporation.

Once an insured bank is liquidated/ placed under "All Inclusive Directions" by the Reserve Bank of India, with restrictions on withdrawal of deposits, deposit insurance is available to its depositors. The Corporation's liability in respect of insured deposits will arise in the following cases:

If any direction is issued or any prohibition or order or scheme is made under any of the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and such direction, prohibition, order or scheme provides for restrictions on depositors of such bank, the Corporation pays to each depositor, total amount of his deposit amount (in the same capacity and in the same right) as on the date of issue of direction/ prohibition/order/ scheme of the bank upto a maximum limit of ₹ 5 lakh.

If a bank goes into liquidation, the Corporation pays to each depositor, directly or through the liquidator, total amount of his deposit amount (in the same capacity and in the same right) as on the date of deregistration of the bank by DICGC upto a maximum limit of \mathfrak{T} 5 lakh.

If a bank is reconstructed or amalgamated with another bank and the Scheme of reconstruction or amalgamation does not entitle a depositor to get credit for the full amount of his deposit, the Corporation will arrange to pay to each depositor through the reconstructed bank or the transferee bank an amount equivalent to the shortfall between the amount due to the depositor under the insurance scheme and the amount of Credit received by him under the scheme of reconstruction or amalgamations, as on the date of deregistration of the bank by DICGC.

For further information please visit the website of the Corporation.